केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में राज्यों द्वारा किये जा रहे बदलाव पर एक विश्लेषण

आपने NSSO सर्वे के नतीजों के बारे में कुछ साल पहले सुना होगा ,जिसमें दर्शाया गया था कि अधिकतम किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार है अगर उन्हें कोई और विकल्प मिले साथ ही बहुत सारे समुदायों को अपनी ज़मीन पर टिके रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है भूमि अधिग्रहण की वज़ह से। इन समुदायों के लिए ये भूमि न केवल एक कीमती वस्तु है बल्कि रोजगार का भी माध्यम है क्योंकि भूमि ही एकमात्र रोजी- रोटी का सहारा है । भूमि के अधिकार तथा जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण को लेकर 2013 में जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके फलस्वरूप निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्श भूमि अधिग्रहण का अधिकार तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2013 बनाये गए । NDA की सरकार ने सत्ता में आने के बाद , अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की बजाये संशोधन को संसद में ना पेश करके सीधा अध्यादेश जारी कर दिया। ऐसा तीन बार हुआ। निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्श भूमि अधिग्रहण का अधिकार तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2013 (RFCTLARR कानून 2013 or LARR कानून 2013), लोकप्रिय समर्थन के साथ बड़े पैमाने पर लागू किये गए जो के जो कि भारतीय किसानों, कृषि मजदूरों, मछुआरों, दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए है क्योंकि ये लोग अपने वयवसाय के लिए भूमि, पानी, जंगल और समुन्दर पर निर्भर होते है । अक्सर इन समुदायों को ही आधुनिक औद्योगिक विकास का सबसे ज्यादा शिकार होना पड़ता है क्योंकि इन से इनकी भूमि छीन ली जाती है और साथ ही रोजगार का माध्यम भी बिना किसी पुनर्वास और पुनर्स्थापन के। निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्श भूमि अधिग्रहण का अधिकार तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2013 (LARR कानून 2013) खास रूप से ऐतिहासिक अन्याय जो की भारतीय गणतंत्र ने आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश राज का बना हुआ भूमि अधिग्रहण कानून 1854 को जारी रख कर अपने ही नागरिकों पर किया था, उसको दूर करने के लिए बनाया है। 2000 तक, भारतीय सरकार द्वारा बनायीं गयी आदिवासी उच्च स्तरीय कमिटी जो कि विकास प्रोजेक्टों के लिए है से 60 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है।

जब केंद्रीय सरकार LARR कानून 2013 में किये गए संशोधनों को नहीं ला पायी तो राज्यों के स्तर पे नयी चीज़ें आने लगी जो कि प्रभावित लोगों के अधिकारों की उलंघना है। इस नोट में इन्ही सब पर विचार -विमर्श किया गया है।

यह विचार -विमर्श पत्र नेशनल अलायन्स फॉर पीपल्स मूवमेंट ने किसान स्वराज सम्मेलन 2018 , अहमदाबाद के लिए तैयार किया है। किसी भी सवाल के लिए आप kmadhuresh@gmail.com पर संपर्क कर सकते है।

केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में राज्य सरकारें ला रही जन-विरोधी संशोधन

गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,तमिलनाडु, और झारखण्ड की राज्य सरकार जन-विरोधी संशोधन पारित करते हुए अपने राज्यों में सं[1]शोधित कानून लेकर आयी हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनमें से लगभग सभी ने संशोधन को लागू पहले की तारीख मतलब 1 जनवरी, 2014 से किया है। ऐसा करते हुए केंद्रीय कानून जो सितम्बर, 2013 में आया ही था और ठीक से लागू भी ना हो पाया था, उसके आसार इन राज्यों में ख़त्म कर दिए।

विभिन्न वर्ग की परियोजनाओं को सहमति के प्रावधान, सामाजिक प्रभाव आंकलन, आपत्ति,और स्थानीय संस्थाओं (जैसे ग्राम सभा) की सहभागिता इत्यादि से छूट

विधेयक की तरह इनमें भी ठीक वैसे ही विभिन्न वर्ग की परियोजनाएं, जैसे औद्योगिक कॉरिडोर, एक्सप्रेस-वे, हाईवे, और अन्य आधारभूत संरचनाएं है, को बहुत महत्व के सहमति के प्रावधान, सामाजिक प्रभाव आंकलन, स्थानीय संस्थान जैसे ग्राम सभा का सामाजिक प्रभाव आंकलन और उसको प्रमाणित करने जैसी प्रक्रियाओं से बाहर किया जा रहा है, जन-सुनवाई, आपत्ति, और खाद्य सुरक्षा जैसे प्रावधानों से छूट दी जा रही है। ये सभी प्रावधान केंद्रीय कानून के जनपक्षीय आधार स्तम्भ हैं जिसके बिना कोई भी राज्य स्तरीय कानून जमीनों का सिर्फ बन्दरबाँट ही कर सकती है। इसके साथ कलेक्टर को विश्वासी के तौर पर सभी छानबीन के लिए उनके संतुष्टि पर छोड़ना और भी घातक सिद्ध होने वाला है। लोगों की आवाज को दबाने और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को न्योता देने जैसी बात है।

भूमि वापस करने की नीतियों पर आघात

केंद्रीय कानून ने पहले के अन्यायों को सुधारने की कोशिश में अधिग्रहित की गयी और 5 वर्ष से ज्यादा अवधि से खाली पड़ी जमीन को वापस करने का प्रावधान बनाया है। उसमें अवार्ड पारित होने के बाद लाभान्वितों को मुआवजा ना मिलने पर फिर से मुआवजा देने की बात भी की गयी है। लेकिन लगभग सभी राज्यों में जहाँ राज्य स्तरीय संशोधन आये हैं उनमें या तो पाँच वर्ष की अवधि को बढ़ाकर अधिग्रहण जारी रखने की कोशिश की गयी है और अवार्ड पारित होने के बाद कोर्ट या राजकीय कोष में मुआवजे के रक़म जमा कर नए अवार्ड पारित करने के लाभ से रोकने की भी कोशिश कर रही है राज्य सरकार।

मुआवजा और विस्थापितों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास

केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून 2013 सिर्फ भूमि अधिग्रहण कानून ना होकर इससे आगे बढ़ते हुए न्यायोचित और पारदर्शी मुआवजा, पुनर्स्थापन और पुनर्वास को भी मद्देनजर रखा गया था। लेकिन इसी बीच राजस्थान के भूमि अधिग्रहण बिल से पुनर्स्थापन और पुनर्वास को दरकिनार करते हुए उसके लिए भी आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान बनाया हुआ है। अन्य राज्यों ने भी अपने लिए अलग भूमि अधिग्रहण कानून बनाने और ऐसे जन विरोधी नियमों को लाने के लिए दिलचस्पी दिखाई है।

केंद्रीय कानून में वादा के अनुसार मिलने वाले चार गुना मुआवजा को भी दबा कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों ने शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए एक गुणक (दोगुना मुआवजा) रखा है। सिर्फ असम,

---

यह विचार -विमर्श पत्र नेशनल अलायन्स फॉर पीपल्स मूवमेंट ने किसान स्वराज सम्मेलन 2018 , अहमदाबाद के लिए तैयार किया है। किसी भी सवाल के लिए आप kmadhuresh@gmail.com पर संपर्क कर सकते है।

कर्नाटक और त्रिपुरा ने अधिकतम गुणक रखा है जिससे ग्रामीण इलाकों में होने वाले अधिग्रहण में जमीन की कीमत का चार गुना मुआवजा मिल सकता है।

सिंचित बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण अन्य उपयोग के लिए

केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में सिंचित बहुफसली भूमि के 'ना अधिग्रहण' के लिए साफ़ तौर पर प्राथमिकता दी है। लेकिन ओडिशा और असम जैसे राज्यों ने ऐसे भूमि का अधिग्रहण भी सरल बनाने के लिए दुसरे नियम इसके साथ बनाये है। जिसमे कृषि योग्य भूमि के बदले बराबर क्षेत्र की बंजर भूमि को विकसित करने के लिए खरीद कर कृषि विभाग को देना होगा या उसके लिए समतुल्य पैसे देने होंगे। वही पर झारखंड, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना ने अधिग्रहण के लिए अधिकतम कृषि योग्य भूमि का निर्धारण किया हुआ है। झारखंड ने यह कुल सिंचित बहुफसली भूमि का 2% रखा है वहीँ तेलंगाना ने वर्तमान कृषि योग्य भूमि का 15% रखा है। गुजरात जैसे राज्यों ने ऐसे नियमों को कमजोर करके कृषि योग्य भूमि को दुसरे उपयोग के लिए खोल दिया है।

स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण और खंड 31A को जोड़कर पुनर्वास के लाभ के बदले पैसों का होगा खेल

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने ना ही केंद्रीय कानून को जन-विरोधी और कमजोर करने का काम किया बल्कि इसके साथ स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण के प्रावधान और खंड 31A को जोड़ते हुए सिर्फ भू-मालिकों के साथ करार करने हुए भूमि अधिग्रहित करने वाली है और पुनर्वास के जगह पर उसके लायक पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करने जा रही है। ऐसे में जब केंद्रीय कानून में भू-मालिकों के साथ-साथ अन्य प्रभावितों का भी मामला होता था वहां अब यह भू-मालिकों तक सीमित होने की आशंका है। इसके साथ राजकीय शक्ति और पैसों के खेल से और ज्यादा जमीन अधिग्रहण के प्रभाव में आती जायेगी।आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा दूसरे राज्यों में भी 31A के प्रावधानों से ऐसा किया जा रहा है।

लोगों को बचाने वाले सभी नियमों से वंचित करते हुए निजी तोल मोल का प्रावधान

लोगों की भूमि को कॉर्पोरेट के लिए सरल रूप से उपलब्ध कराने के लिए निजी तोल मोल पर अलग अलग राज्यों में विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसकी अधिकतम सीमा कई राज्यों में काफी ज्यादा रखी गई है जिसमे पुनर्स्थापन और पुनर्वास के कानून लागू नहीं होंगे। इसके लिए राज्यों को नियम बनाने का प्रावधान केंद्रीय कानून के भाग 2(3) और विशेष रूप से भाग 46 में दिया गया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इसकी सीमा 800 से लेकर 2100 हेक्टेयर तक रखी है। वहीँ त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ने इसकी सीमा बहुत ही कम जो कि 01 से 04 हेक्टेयर के बीच रखी है। फिर भी इसको लगातार ध्यान में रखते हुए इसकी जांच करती रहनी होगी क्यूंकि कई जगह कानूनों को ताक पर रखते हुए भूमि का निजी क्रय हो सकता है।

गुजरात सरकार ने जमीन अधिग्रहण के अत्यावश्यकता के प्रावधान से संसद की मंजूरी को किया बाहर

संसद का मखौल बनाते हुए गुजरात सरकार ने केंद्रीय कानून के खंड 40 में बदलाव कर, जहाँ पहले अति आवश्यकता के समय जमीन अधिग्रहण के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती थी, उसको ख़त्म कर दिया है। ऐसा किया जाना ना ही सिर्फ लोकतंत्र को बौना दिखाना प्रतीत होता है बल्कि इसके साथ स्थापित कार्यप्रणाली को भी

धता बताते हुए अपनी मंशा जाहिर कर रही है गुजरात सरकार।ऐसा वो पहले भी स्पेशलइन्वेस्टमेंटरीजनएक्ट जैसे कानून को पारित करने के दौरान कर चुकी है।

तमिलनाडू सरकार उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहणको सभी प्रावधानों से दे रही छूट

तमिलनाडू सरकार ने तीन[2] राज्य स्तर के कानून को केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून से छूट देते हुए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण संशोधन में पाँचवी सूची बना डाली है जिसमें उपस्थित कानून को केंद्रीय कानून से छूट होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य में लगभग 80% भूमि अधिग्रहण इन्हीं कानून के अंतर्गत हुए हैं और राज्य सरकार के इस रूख से आगे भी अनवरत जारी रहेगी।

पीoपीoपीo का भ्रमजाल

वैसे तो पी पीपी का अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट साझेदारी लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सार्वजनिक हित तो सिर्फ एक छलावा है। पी पीपी का इस्तेमाल सिर्फ निजी कंपनियों को फायदा पहुचाने के लिए होता हैं। एक तरफ सार्वजनिक हित के नाम पर जल, जंगल एवं जमीन हथियाई जाती है और जनता के पैसे उडायेजातें हैं और दूसरी तरफ पी पीपीप्रोजेक्ट जब मुनाफे के चरण में पहुंचतीं है तब निजी खिलाड़ी इसका फायदा उड़ा ले जाते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 पीoपीoपीoप्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम 70% सर्वसहमति का उल्लेख करती है। भूमि विधेयक, 2014 ने पी पीपी को इस प्रावधान से हटाने का पूरा इन्तजाम कर लिया था लेकिन असफलता हाथ लगी। अभी भी अनेकों निजी मुनाफे के लिए बने प्रोजेक्ट्स पी पीपी के नाम पर धड़ल्ले से चल रही है। किसी भी परियोजना का समुचित विश्लेषण कर लेना जरुरी है।

भूमि संग्रहीकरण (लैंड पूलिंग) – आशा या झांसा?

राज्य सरकार ने किसानों और समुदायों को बहकाने के लिए लैंडपूलिंग नामक तरीका इजाद किया है। है तो ये बिलकुल अधिग्रहण के जैसा बस नाम में हेर फेर है। लैंडपूलिंग का इस्तेमाल करके सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून को दरकिनार करते हुए ढेरों जमीन बहुत ही सस्तें में हथिया रही है, जैसे **आंध्र प्रदेश के नए प्रस्तावित राजधानी अमरावती**में हुआ। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच 12200 हेक्टेयरलैंडपूलिंग के नाम पर हथियाई,जिससे लगभग 90,000 छोटे एवं भूमिहीन किसान और खेत मजदूर विस्थापित हुए। यह आबादी का 80 प्रतिशत है। बाकी के 20 प्रतिशत भू मालिकों को रहने एवं व्यापारिक प्लाट मिलेंगे। निष्कर्ष यह है कि लैंडपूलिंग से भू-मालिकों को थोडा फायदा मिल भी जाता है लेकिन भूमिहीन अपना सब कुछ गंवा देते है। गुजरात ने तो लैंडपूलिंग के नाम पर एक नया कानून **स्पेशलइन्वेस्टमेंटरीजनएक्ट 2009** पारित कर दिया है। अहमदाबाद से 150 किमीo दूर धोलेरा क्षेत्र में 92,200 हेक्टेयर की जमीन पर स्मार्टसिटी बनाने की कोशिश में लगी गुजरात सरकार ने 22 गाँवों के 50,000 लोगों को लैंडपूलिंग का झांसा दिया। गाँव वालों ने इस एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया हुआ है। अभी तक अदालत के फैसले उनके पक्ष में रहे हैं। **इसी तरीके से राजस्थान, पंजाब, और हरियाणा सरकार भी लैंडपूलिंग स्कीम अपने राज्यों में लेकर आ गयी है, जो लोगों से जमीन छीन कर कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट द्वारा जमीन पर कब्जे को बढ़ावा देने वाली है।**

यह विचार -विमर्श पत्र नेशनल अलायन्स फॉर पीपल्स मूवमेंट ने किसान स्वराज सम्मेलन 2018 , अहमदाबाद के लिए तैयार किया है। किसी भी सवाल के लिए आप kmadhuresh@gmail.com पर संपर्क कर सकते है।

‘आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति’–राज्य शक्ति और पैसों का होगा खेल

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और छत्तीसगढ़ राज्यों ने नया दरवाजा खोला है जमीन अधिग्रहण के लिए जिसमें भू-मालिकों की सहमति के आधार पर सरकार भू-मालिकों के साथ निजी करार में आते हुए भूमि अधिग्रहण करेगी। इसके बदले उन्हें एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा, उनकी जमीन और परिसंपत्तियों के लिए।

पूरी नीति सिर्फ भू-मालिकों की बात करती है और इनकी जमीन पर आश्रित भूमिहीनों को पूरी तरह अलग करते हुए उनके हकों को कुछ हद तक मानने वाली केंद्रीय कानून को भी पूरी तरह नजरंदाज करती है। ऐसा करने से जिस ऐतिहासिक अन्याय को केंद्रीय कानून में जगह देते हुए उसे ठीक करने की थोड़ी कोशिश हुई थी वो फिर से वापस सरकारी जमींदारी की तरफ जाती दिख रही है। इससे भूमिहीनों के साथ-साथ, कृषि मजदूर, और अन्य समुदाय भी अपनी आजीविका खोने के कगार पर पहुँच जायेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ने इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए सिंचित बहुफसली भूमि को भी क्रय नीति के प्रभाव में लाते हुए अलग-अलग तरह के जमीनों के अलग-अलग दाम लगा दिए हैं। इससे ना सिर्फ जमीन बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी दाँव पर होगी।

केंद्रीय कानून के कारण भूमि अधिग्रहण में काफी समय लगने का बहाना बनाते हुए इन चार राज्यों की सरकार यह आपसी सहमति के आधार पर क्रय नीति लेकर आई है। जिससे साफ़ पता चलता है कि केंद्रीय कानून में सहमति, सामाजिक प्रभाव आंकलन, ग्राम सभा के अधिकार, और पुनर्वास को लेकर ये सरकारें कितनी गंभीर है। भारत सरकार द्वार गठित आदिवासियों के लिए बनायीं उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1947 से 2000 तक में विकास की परियोजनाओं से 6 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं और जिसमें 47% सिर्फ आदिवासी हैं।

ओड़िशा राज्य सरकार भी ऐसी ही क्रय नीति लेकर आयी है लेकिनउसको केंद्रीय कानून के खंड 46 में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में रखा है। लेकिन ऐसा करने से उनकी भी मंशा जन-पक्षीय कतई नहीं कही जा सकती क्यूंकि परियोजनाएं बड़ी हो या छोटी, भूमि अधिग्रहित कम हो या ज्यादा, लोग हमेशा विस्थापित होते आ रहे हैं। सरकार द्वारा बड़े-छोटे और कम-ज्यादा भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों को असमान वर्गीकृत करना और एक को अलग लाभ और दूसरे को वंचित करना बिलकुल ही असंवैधानिक कहा जाना चाहिए।

निष्कर्ष- ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि कुछ हद तक ही सुधार आ पाया है, भूमि अधिग्रहण 2013 कानून से। किसानों और आदिवासी समुदायों पर अधिग्रहण को लेकर बहुत अत्याचार हुआ है तथा राज्य सरकारों ने इसे ओर भी गुंझलदार बना दिया है। **यह भूमि अधिग्रहण 2013 कानून की उलंघना करता है और स्वीकारा नहीं जा सकता।**

यह विचार -विमर्श पत्र नेशनल अलायन्स फॉर पीपल्स मूवमेंट ने किसान स्वराज सम्मेलन 2018 , अहमदाबाद के लिए तैयार किया है। किसी भी सवाल के लिए आप kmadhuresh@gmail.com पर संपर्क कर सकते है।